न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 312/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. प्रदीप कुमार पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. इन्द्रा देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पुष्पा देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सन्तोष देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सरला देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुमन देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. महावीर प्रसाद पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 371/369 की कुल 2.240 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता मेघराज पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मेघराज पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मेघराज पुत्र भोमाराम का देहान्त हो चुका है तथा मेघराज पुत्र भोमाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख 6 के पक्ष मे परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 6 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने का कहा तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण मेघराज, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत मेघराज आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मेघराज पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मेघराज पुत्र भोमाराम का देहान्त हो चुका है तथा मेघराज पुत्र भोमाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख 6 के पक्ष मे परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 6 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 371/369 की कुल 2.240 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता मेघराज पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मेघराज पुत्र भोमाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मेघराज पुत्र भोमाराम का देहान्त हो चुका है तथा मेघराज पुत्र भोमाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख 6 के पक्ष मे परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 6 काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक मेघराज के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 371/369 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में मेघराज पुत्र भोमाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 312/2023
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. प्रदीप कुमार पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. इन्द्रा देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पुष्पा देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सन्तोष देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सरला देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुमन देवी पुत्री मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. महावीर प्रसाद पुत्र मेघराज जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 312 सन 2023 निर्णय दिनांक – 20/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 371/369 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में मेघराज पुत्र भोमाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:58 IST
Reason: SelfAttested